

दिनांक 22-08-2014 को कृषि उत्पादन आयुक्त के कार्यालय में प्रधान सचिव कृषि, बिहार की अध्यक्षता में आहूत पूर्णिया एवं मुंगेर प्रमंडल के समीक्षा बैठक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से) की संक्षिप्त कार्यवाही

प्रमंडलीय समीक्षा बैठक में दिए गए निदेश-

1. पूर्णिया एवं मुंगेर प्रमंडल के सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दिनांक 31 अगस्त, 2014 तक डीजल अनुदान के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों का सत्यापन कराकर डीजल अनुदान की राशि वितरित कराई जाए।
2. उपरोक्त प्रमंडल के सभी जिला कृषि पदाधिकारियों एवं परियोजना निदेशक, आत्मा को निदेश दिया गया कि कृषि टास्क फोर्स की बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट यथाशीघ्र मुख्यालय को प्रेषित की जाए तथा उसे जिला आत्मा के वेबसाइट पर तत्काल अपलोड किया जाए।
3. जिला कृषि पदाधिकारियों को महिला रोपनहारों के ट्रेनिंग की रिपोर्ट मुख्यालय भेजने का निदेश दिया गया।
4. जिला कृषि पदाधिकारी को माह अगस्त, 2014 में हुई वर्षा के आलोक में धान रोपनी का आच्छादन लक्ष्य पूरा कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रयास करने का निदेश दिया गया।
5. बीज, खाद, दवा आदि के थोक/फुटकर विक्रेता के प्रतिष्ठानों में छापेमारी के लिए 2-3 टीम गठित करने का निदेश संयुक्त कृषि निदेशक/जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया। उक्त संबंधी प्रगति से मुख्यालय को भी अवगत कराने का निदेश दिया गया।
6. सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को बीज, खाद, कीटनाशी दवा आदि की कालाबाजारी को रोकने के लिए की गई छापेमारी की रिपोर्ट यथाशीघ्र मुख्यालय के संबंधित कोषांग को उपलब्ध कराने तथा उस पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट जल्द से जल्द मुख्यालय भेजने का निदेश दिया गया।
7. जिला कृषि पदाधिकारियों को खाद के उठाव की रिपोर्ट नियमित रूप से मुख्यालय को भेजने का निदेश दिया गया।
8. जिला कृषि पदाधिकारी को विभिन्न सरकारी/सहकारी/अन्य बीज उत्पादक संस्थाओं द्वारा विगत वर्षों में जिलावार उपलब्ध कराए गए बीज की मात्रा का सत्यापन प्रतिवेदन मुख्यालय भेजने का निदेश दिया गया।
9. जिला कृषि पदाधिकारियों को आईसोपोम के अंतर्गत खर्च की गई राशि का Utilisation Certificate जल्द भेजने का निदेश दिया गया।
10. विभिन्न एजेंसी से प्राप्त बीजों का बीज नमूना संग्रह में तेजी लाने के लिए जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देशित किया गया।

11. विगत वर्षों में अनुदानित दर पर वितरित किए गए कृषि यंत्रों के शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन के कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निदेश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया।
12. जिला कृषि पदाधिकारी को विशेष फसल के लिए किसानों से आवेदन ले कर उनके चयन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निदेश दिया गया।
13. जिलों में स्थापित मिट्टी परिक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी परिक्षण कार्य में तेजी लाने का निदेश प्रयोगशाला के प्रभारी पदाधिकारी को दिया गया। साथ ही साथ उन्हें जांच रिपोर्ट (Soil Health Card), संबंधित किसानों को जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
14. सभी जिला उद्यान पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे सघन बागवानी योजना के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं से पौधा उठाव दिनांक 31-08-2014 से पूर्व सुनिश्चित करें।
15. जिला स्तर पर उपलब्ध विभिन्न प्रकार के फलदार पौधों को जल्द से जल्द किसानों में वितरित कराने के लिए जिला उद्यान पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से प्रयास करें।
16. पूर्णिया एवं मुंगेर प्रमंडलों के सभी परियोजना निदेशक, आत्मा को निदेश दिया गया कि दिनांक 31 अगस्त, 2014 तक प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं लेखापाल के संविदा आधारित नियोजन हेतु आरक्षण रोस्टर को जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, आत्मा शापी परिषद से अनुमोदित कराके मुख्यालय को सूचित करें।
17. उपरोक्त प्रमंडल के सभी परियोजना निदेशक, आत्मा को निदेश दिया गया कि वे बिहार प्रसाशनिक सुधार मिशन में सूचीबद्ध कार्यपालक सहायक की सेवा यथाशीघ्र प्राप्त करें। जिस जिले में बिहार प्रसाशनिक सुधार मिशन से यह सुविधा तकनीकी रूप से प्राप्त करना संभव न हो, वहां तत्काल प्रभाव से उसकी वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें।
18. जिला कृषि पदाधिकारी तथा परियोजना निदेशक, आत्मा को वर्ष 2007-'08 से 2012-'13 की अवधि में हस्तांतरित की गई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की राशि के लेखा अंकेक्षण के अपूर्ण कार्य को जल्द पूरा कराने का निदेश दिया गया।
19. सभी परियोजना निदेशक, आत्मा को दिनांक 27 अगस्त, 2014 को प्रस्तावित किसान क्रेडिट कार्ड वितरण कैंप की यथानिदेशित तैयारी करने का निदेश दिया गया।

धन्यवाद के साथ समीक्षा बैठक समाप्त हुई।

(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव, कृषि विभाग
बिहार

ज्ञापांक 108/बामेती, पटना/2014-15/687
प्रतिलिपि:

दिनांक - 11.09.14

- निदेशक कृषि, बिहार/निदेशक उद्यान, बिहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक (मुंगेर एवं पूर्णिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा/जिला उद्यान पदाधिकारी/जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी (मुंगेर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया एवं अररिया) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
- प्रधान सचिव, कृषि, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

 11.09.14

निदेशक बामेती
बिहार, पटना